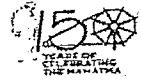


NP
04/11/22



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

दिनांक

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक : 02 नवम्बर, 2022

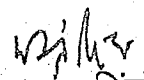
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के 13 जिलों के नगरीय निकायों में 14 सदस्यों के उप चुनाव माह नवम्बर, 2022 के लिये मतदान दिनांक 25.11.2022 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 23.11.2022 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 25.11.2022 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,


(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

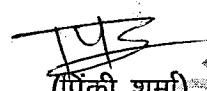
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11504

दिनांक : 04.11.22

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(पिंकी शर्मा)
सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग